1	2	3	4
12.	Punjab	Patiala	IOC
13.	Rajasthan	Bikaner	IOC
14.	Tamilnadu	Madras	IOC
15.	Tamilnadu	Madurai	IOC
16.	Tamilnadu	Trichy	IOC
17.	Tamilnadu	Madras	BPC
18.	Tamilnadu	Madras	HPC
19.	Tripura	--	IOC
20.	Uttar Pradesh	Farukhabad	IOC
21.	Uttar Pradesh	Meerut	BPC
22.	West Bengal	Culcutta	IOC
23.	West Bengal	Calcutta	BPC
	Bottling Plants Under Revamping/Resitement Proposals		
24.	Andhra Pradesh	Tadepalli/Secunderabad	IOC
25.	Andhra Pradesh	Kurnool	BPC
26.	Rajasthan	Udaipur	BPC
27.	Karnataka	Belgaum	IOC
28.	Maharashtra	Manmad/Dhulia	IOC
29.	Uttar Pradesh	Sultanpur (Trisundi)	IOC
30.	Andaman & Nicobar	Port Blair	IOC
31.	Tamilnadu	Feruncherry	IOC
32.	Uttar Pradesh	Sultanpur *(Tikaria Indl. Estate)*	BPC

Suspension of work of ONGC in Tripura

4606. SHRI JOYANTA ROY: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether Government have finally decided to reduce, and in certain places, to suspend the work of the ONGC in Tripura; and

(b) if so, the compelling reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHARMA): (a) and (b) No, Sir. However, *owing to certain environmental* constraints, ONGC is restricting its activities mainly to the western Tripura.

राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र को पैट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति

4607. **श्री कनकसिंह मोहन सिंह मंगरोला** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परमाणु विद्युत केन्द्र (आर. ए. पी. एस.) की पैट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति में चोरी की जा रही है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि सरकार ने इस संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की है ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(घ) यह मामला सरकार के ध्यान में कब लाया गया था ; और

(ङ) पेट्रोलियम उत्पादों की चोरी और मिलावट से सरकार को कितना नुकसान हुआ है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

गुजरात में उद्योगों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति

4608. श्रीमती आनन्दीबेन जेठाभाई पटेल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में प्रति वर्ष कितनी मात्रा में प्राकृतिक गैस उत्पादित की जाती है :

(ख) इसका क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस राज्य में प्रति वर्ष उद्योगों को कितनी गैस आवंटित की जाती है ;

(घ) क्या यह सच है कि गुजरात में उद्योगों को अपनी खपत के अनुसार पर्याप्त गैस नहीं मिल पाती ;

(ङ) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(च) सरकार इन उद्योगों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (कैप्टन सतीश शर्मा) : (क) और (ख) 1994-95 में उत्तरी गुजरात में 2.10 एम० एम० एम० सी० एम० डी० और दक्षिणी गुजरात में 4.49 एम० एम० एस० सी० एम० डी० उत्पादन किया गया ।

(ग) गुजरात में उद्योगों को 22.39 एम० एम० एस० सी० एम० डी० आबंटन किया गया है ।

(घ) और (ङ) 13.30 एम० एम० एस० सी० एम० डी० की वचनबद्धता के मुकाबले 1994-95 में आपूर्ति 13.06 एम० एम० एस० सी० एम० डी० थी । आपूर्ति में मामूली कमी कलोल में घटते जा रहे उत्पादन, पश्चिमी अपतट आदि में ओ० एन० जी० सी० के बंद होने के कारण हुई ।

(च) गैस की आपूर्ति को बढ़ाने के लिए किए गए उपायों में गांधार का अतिरिक्त विकास और अलग-थलग गैस पूलों को संबद्ध करने के लिए सुविधाओं की स्थापना शामिल है ।

Dealership of Petroleum Products for Sports persons

4609. SHRI SURESH KALMADI: Will the Minister of PETROLEUM AND NATURAL GAS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have decided to reserve the dealership and distributorship for diesel, petrol, liquified petroleum gas and kerosene for outstanding sports persons; and

(b) if so, what are the details of the scheme including the percentage of reservation and criteria fixed for recognition of outstanding sports persons?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS (CAPT. SATISH SHRAMA): (a) Yes, Sir.

(b) It has been decided by the Government to provide a reservation of 2 per cent for Outstanding Sports persons in the allotment of dealerships/distributorships of petroleum products through the OSBS. This reservation will be available from the maketing plan 1993-96 onwards for RO and SKO-LDO dealerships and from 1994-96 onwards for LPG distributtrships. The eligibility criteria will be as under :—

(i) Categories of eligible Outstanding Sports persons:—

(a) Arjun Awardees.

(b) Winners of medals at Olympics|Asian|Commonwealth Games and recognised World Champions/ World Championships.